11
22/10/14

न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 121/2012–13
यदुनंदन भगत वनाम राज्य

आदेश

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद यदुनन्दन भगत द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 460 दिनांक– 22.03.2012 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने एवं अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने संबगंधी पारित अदिेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी प्रखण्ड अन्तर्गत सिरबार–विरबार पंचायत का बिहार ट्रेड आर्टिकिल्स् के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या– 44/05 जो बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या– 331/07 प्राप्त है तथा अपीलार्थी म्बद्ध लाभार्थियों के बीच निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण करते चले आ रहे हैं और कभी उपभोक्ताओं ने अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक– 04 दिनांक– 27.01.2012 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसपर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 112–2 दिनांक– 29.02.2012 द्वारा अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी से पूछे गये कारण–पृच्छा संबंधी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर का ज्ञापांक 112–2 दिनांक– 29.02.2012 द्वारा 20.03.2012 की संध्या 4.00 बजे अपीलार्थी को हस्तगत कराया गया। उक्त पत्र प्राप्ति उपरान्त अपीलार्थी ने अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क किया जहॉ उन्हें बतलाया गया कि संदर्भित मामले में आदेश पारित हो चुका है, जिसकी प्रति उन्हें प्राप्त करा दी जायगी। तदोपरान्त अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द करकने संबंधी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश की प्रति दिनांक– 24.04.2012 को अपीलार्थी पर तामिल कराया गया। अपीलार्थी का यह भी आरोप है कि बिना उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किये तथा सुनने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक– 04 दिनांक– 07.01.2012 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में नित्यानंद यादव एवं अन्य लाभुकों द्वारा समर्पित परिवाद पत्र में अपीलार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी करने संबंधी आरोप पर अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा नियमित रूप से उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता रहा है एवं कभी किसी उपभोक्ताओं का उनसे कोई शिकायत नहीं रही है। लाभार्थी जिनके द्वारा शिकायत किया गया था

ने अपने शपथ पत्रों में लगाये गये आरोपों को मनगढंत तथा चन्द स्वार्थी तत्वों द्वारा निधारा आरोप लगाने की बात स्वीकार की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अपीलार्थी का कहना है कि स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु समय पर नोटिस नहीं मिला। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर के अपीलार्थी को निर्गत स्पष्टीकरण पत्रांक 216/गो0 दिनांक– 04.02.2012 का अवलोकन किया। इस नोटिस में अपीलार्थी को तीन दिनों के अन्दर माह जून 2011 से जनवरी 2012 तक खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव एवं वितरण पंजी के साथ उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया कि उपभोक्ता सामग्री की कालाबाजारी क्यों किया गया। अपीलार्थी ने इस नोटिस को दिनांक– 06.02.2012 को प्राप्त किया, लेकिन स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देकर अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को जॉच में व्यवधान उत्पन्न किया, ताकि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा अपीलार्थी की अनियमितता की जॉच नहीं कर सके। इससे प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को सामग्री को कालाबाजारी कर दिया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर का अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्ध करना सही है। अपील आवेदन पत्र खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

20.10.
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1911-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 20 अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/14
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
20/10/14

ज्ञापांक 1911-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 20 अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

20/10/14
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
20/10/14

कोर्ट - 1 प्रति